रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 380] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 2, 2015/अग्रहायण 11, 1937
No. 380] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 2, 2015/ AGRAHAYANA 11, 1937

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2015

फा. सं. 2-15015/30/2012.—खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 का संशोधन करने के लिए, कतिपय विनिमयों का निम्नलिखित प्ररूप, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 31 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा ;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य और औषधि प्रशासन भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली -110002 भेजे जा सकेंगे।

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा ;

प्रारूप विनियम

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विनियम, 2015 है।

   (2) ये उनके राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनिमय, 2011 में,—

   (अ) खाद्य कारबार के रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन से संबंधित विनियम 2.1 में,

(i) " खाद्य कारबार के रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन" से संबंधित उपविनियम 2.1.2 में, खंड (1) में —

(क) पहले परंतुक में, "छत्तीस मास," शब्दों के स्थान पर " चौवन मास" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) दूसरे परंतुक में, "छत्तीस मास," शब्दों के स्थान पर "चौवन मास" शब्द रखे जाएंगे ;

आशीष बहुगुणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन III/4/असा./187-ओ/15 (267)]

टिप्पण: मूल खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकारण) विनियम, 2011 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना सं: 2-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका पश्चात्वर्ती संशोधन अधिसूचना सं. 2-15015/30/2012, तारीख 10 जून, 2014 द्वारा किया गया हैं।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2015

F. No. 2-15015/30/2012.—The following draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of the India, proposes to make, in exercise of the powers conferred by clause (o) of sub-section (2) of section 92 read with section 31 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) hereby publishes as required by sub-section (1) of section 92 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi. 110002;

Any objections or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft regulation before the expiry of the period so specified shall be considered by the Food Authority;

Draft Regulations

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Business) (Amendment) Regulations, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Business) Regulations, 2011,—

A. In regulation 2.1, relating to Registration and Licensing of Food Business,—

i. In sub-regulation 2.1.2, relating to "License for food business", in clause (1)—

(a) in the first proviso, for the words "thirty six months", the words "fifty four months" shall be substituted;

(b) In the second proviso, for the words "thirty six months", the words "fifty four months" shall be substituted;

[ADVT-III/4/Exty./187-O/15 (267)]

ASHISH BAHUGUNA, Chief Executive Officer

Note:- The principal Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Business) Regulations, 2011 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification number F. No. 2-15015/30/2012, dated 10th June, 2014

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.